



जनपद

गाजियाबाद

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 05-01-21

थाना लोनी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सिरौली के जैनेन्द्र उर्फ जैनी बैसला के हत्याकाण्ड में संलिप्त एक वांछित

अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध पिस्टल बरामद

श्री कलानिधि नैथानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना लोनी पुलिस द्वारा दिनांक 05.01.2021 को ग्राम सिरौली के जैनेन्द्र उर्फ जैनी की हत्याकाण्ड में संलिप्त अभियुक्त अमित कसाना पुत्र सतवीर निवासी ग्राम रिस्तल थाना टीला मोड गाजियाबाद को ग्राम निठौरा के पास से आज प्रातः गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त अमित कसाना के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद पिस्टल .32 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद किये गये हैं। अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिसके विरुद्ध हत्या, लूट, डकैती व गैंगस्टर के विभिन्न थानों पर 17 अभियोग पंजीकृत हैं। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

पवन उर्फ कल्लू नि0 ग्राम सिरौली थाना लोनी गा0बाद का अपने चाचा जैनी उर्फ जैनेन्द्र के साथ पैतृक सम्पत्ति को लेकर दोनों पक्षों में विवाद है। पवन उर्फ कल्लू द्वारा अपने साथी मनोज निवासी नगला नैनसुख दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर व उमेश उर्फ फौजी उपरोक्त के साथ मिलकर जैनेन्द्र उर्फ जैनी की हत्या करने का षडयन्त्र अपने साथियों के साथ घटना वाले दिन मेरे घर पर इकट्ठा होकर रचा गया था और मुझे बताया था कि हम सभी को पवन का साथ देना है इस पर मेरे द्वारा पवन उर्फ कल्लू को दो शूटर बिल्लू कांडा व सागर भारती उपलब्ध कराये गये। मैं स्वयं, उमेश उर्फ फौजी, मनोज, सुनील नि0 चचूडा थाना दनकौर जिला गौतमबुद्ध नगर, अंकित जो मनोज का साला नि0 भैस रावली हरियाणा, मनीष नि0 खेडी भनौता थाना सूरजपुर गौतमबुद्ध नगर, कल्लू उर्फ राहुल, कपिल, सागर नि0 गण ग्राम रिस्तल थाना टीला मोड गा0बाद ने पूर्व से चल रही योजना के मुताबिक पवन उर्फ कल्लू, बिल्लू कांडा व सागर भारती को स्पलैण्डर मोटर साईकिल से जैनेन्द्र के घर पर भेजा, जिन्होंने योजना के मुताबिक जैनेन्द्र उर्फ जैनी को घर से बुलाकर ताबडतोड फायरिंग करते हुए हत्या कर दी तथा मैं व मेरे अन्य साथी उपरोक्त सैन्ट्रो कार व आई 20 कार से घटनास्थल के आस पास इनकी मदद करने के लिए मौजूद रहे।

नाम पता गिरफ्तार अभि0गण-

अमित कसाना पुत्र सतवीर निवासी ग्राम रिस्तल थाना टीला मोड गाजियाबाद

अभियुक्त अमित कसाना के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों का विवरण:-

- 1- मु0अ0सं0 1097/2020 धारा 302/452/506/120बी/34 भादवि थाना लोनी गा0बाद
- 2- मु0अ0सं0 220/06 धारा 147/148/149/307/332/353 भादवि थाना सूरजपुर गौतमबुद्ध नगर

- 3- मु0अ0सं0 318/06 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सूरजपुर गौतमबुद्ध नगर
- 4- मु0अ0सं0 330/06 धारा 3(2)एनएसए थाना सूरजपुर गौतमबुद्ध नगर
- 5- मु0अ0सं0 483/06 धारा 25 शस्त्र अधि0 थाना कृष्णा नगर दिल्ली
- 6- मु0अ0सं0 497/09 धारा 302/201/120बी भादवि व 7 क्रिमनल लाँ एक्ट थाना दादरी गौतमबुद्ध नगर
- 7- मु0अ0सं0 498/09 धारा 147/148/149/307/332/353/216 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्ध नगर
- 8- मु0अ0सं0 574/09 धारा 25/27 शस्त्र अधि0 थाना दादरी गौतमबुद्ध नगर
- 9- मु0अ0सं0 705/09 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना दादरी गौतमबुद्ध नगर
- 10 मु0अ0सं0 1470/11 धारा 147/148/149/302/307 भादवि थाना साहिबाबाद गा0बाद
- 11 मु0अ0सं0 358/16 धारा 396/412/120बी भादवि थाना बादलपुर गौतमबुद्ध नगर
- 12 मु0अ0सं0 264/17 धारा 386/504/506 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्ध नगर
- 13- मु0अ0सं0 420/17 धारा 307 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्ध नगर
- 14- मु0अ0सं0 941/17 धारा 147/148/149/332/353/307 भादवि व 7 क्रिमनल ला एक्ट थाना दादरी गौतमबुद्ध नगर
- 15- मु0अ0सं0 2/18 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना दादरी गौतमबुद्ध नगर
- 16- मु0अ0सं0 399/18 धारा 147/148/149/323/307/384/504 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर
- 17- मु0अ0सं0 01/20 धारा 25/54/49 आर्म्स एक्ट थाना गाँधी नगर शाहदरा दिल्ली

बरामदगी का विवरण:-

1. घटना में प्रयुक्त 01 अदद पिस्टल नाजायज 32 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 32 बोर



चैकिंग अभियान के दौरान 01 अभि0 को नशीला पाउडर व गोलियों सहित किया गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक सिहानी गेट श्री कृष्ण गोपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में चैकिंग के दौरान थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा दि0 05/01/21 को अभि0 नितिन पुत्र श्री दीपक वर्मा नि0 गली न0 5 सेवा नगर थाना सिहानीगेट जनपद गाजियाबाद

को SBN कालेज के गेट न0 02 के पास नन्दग्राम से 60 gm ALPRAZOLAM पाउडर व 10 छोटे खाली पाउच व

04 अदद नशीली गोलियाँ Alprazolam सहित समय 00.30 बजे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की ।

अपराध कारित करने का तरीका:-

दिनाँक 04/05-01-021 को चैकिंग अभियान के दौरान नन्दग्राम के SBN कालेज के गेट न0 02 के पास में थाना सिहानीगेट पुलिस सडक पर एक व्यक्ति आता दिखायी दिया जो पुलिस को देखकर पीछे मुडकर

भागने का प्रयास करने लगा तेजी से पुलिसकर्मियों द्वारा भागे हुये व्यक्ति को पकड लिया पकडे जाने पर व्यक्ति ने अपना नाम नितिन उपरोक्त बताया तलाशी ली गयी तो पहनी पेन्ट की दाहिनी जेब से पोलिथीन मे गुलाबी रंग का नशीला व 04 अदद नशीली गोलियाँ Alprazolam व 10 छोटे खाली पाउच बरामद हुई तथा अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि में नशीली गोलियाँ बेचकर अपनी जीविका चलाता हूँ

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

नितिन पुत्र श्री दीपक वर्मा नि0 गली न0 5 सेवा नगर थाना सिहानीगेट जनपद गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0स0 15/2021 धारा 8/21 NDPS ACT थाना सिहानी गेट गाजियाबाद

बरामदगी

1.60 gm ALPRAZOLAM पाउडर व 10 छोटे खाली पाउच

2.04 गोली एल्फाजोलम.05mg



मुरादनगर क्षेत्र में हुई दुखद घटना में वांछित 25000/- का इनामी बदमाश ठेकेदार अजय त्यागी व उसके सहयोगी संजय गर्ग सहित कुल 05 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण :- दिनांक 03-01-21 को मुरादनगर में उखलारसी मे शमशान घाट की छत गिरने वाली घटना के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए गए। उक्त प्रकरण में थाना मुरादनगर पर मुकदमा अपराध संख्या- 06/21 धारा 304, 33, 338, 409, 427 आईपीसी दर्ज किया गया जिस के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री ईराज राजा के नेतृत्व में आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। उक्त टीमों द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नामित 04 अभियुक्तों में से 03 अभियुक्तों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। वही चौथे फरार आरोपी अजय त्यागी की गिरफ्तारी पर एसएसपी द्वारा ₹25000 का इनाम घोषित किया गया था।

जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री ईरज राजा के नेतृत्व में टीमों द्वारा प्रमुख संभावित स्थानों पर दिनभर ताबड़तोड़ दबिश, तलाश सुरागरसी पतारसी आदि के आधार तत्परता से कार्यवाही करते हुए वांछित ठेकेदार व 25000 का इनामी अभियुक्त अजय त्यागी पुत्र सतवीर त्यागी निवासी मोरटा को सटेडी नहर पुल (मुजफ्फरनगर) से थाना मुरादनगर व निवाड़ी पुलिस टीम द्वारा हिरासत में लिया गया जो दिल्ली होते हुये अन्यत्र भागने के लिए लोकल वाहनो से मदद लेने की कोशिश कर रहा था। यह थाना मुरादनगर के मुकदमा अपराध संख्या 06/21 धारा 304, 337, 338, 409, 427 आई पी सी

मे वांछित था। जो घटना के बाद से ही अपने आप को छुपाते हुए विभिन्न डग्गामार वाहनों का प्रयोग करते हुए हापुड़ मेरठ होते हुए मुजफ्फरनगर पहुंचा था जहां से यह रात के अंधेरे में लोकल वाहनों का प्रयोग करते हुए दिल्ली जाकर अन्यत्र जगह भागने की फिराक में था।

पूछताछ का विवरण :- अभियुक्त अजय त्यागी ने पूछताछ में बताया कि मैं मैसर्स अजय त्यागी कान्ट्रेक्टर फर्म का स्वामी हूँ तथा नगर पालिका परिषद मुरादनगर गाजियाबाद के रेलवे रोड गांव उखलारसी में शमशान घाट के सौन्दर्यीकरण एवं निर्माण का टेन्डर वर्ष अप्रैल 2019 में ऑनलाइन टेन्डर प्रक्रिया के तहत नगर पालिका द्वारा मेरी कम्पनी मेसर्स अजय त्यागी कान्ट्रेक्टर के नाम आवन्टन हुआ था। यह 14 वे वित्त के कार्य थे। इनका पैसा शासन द्वारा पहले ही आ जाता है। शमशान घाट का टेन्डर करीब 55 लाख में छूटा था जिसका कार्य आदेश माह फरवरी में निर्गत हुआ था तथा 2 माह में कार्य पूर्ण किया जाना था प्रथम किस्त माह मार्च में लगभग 26लाख रुपए मिली थी। द्वितीय भुगतान माह जुलाई में लगभग 16 लाख रुपए का हुआ था।

यदि टाईम पर कार्य पूरा ना होता तो सरकार से आया धन लेप्स हो जाता। इस कार्य का निर्माण जल्दी पूर्ण कराने हेतु मेरे द्वारा ए0एस0 कनट्रेक्शन कम्पनी के मालिक संजय गर्ग प्रोपराइटर नि0 म0न0 3 बी 53 नेहरू नगर थाना सिहानी गेट गाजियाबाद तथा दूसरी कम्पनी आर0जी0 विलटेज प्रा0 लि0 के मालिक/ प्रोपराइटर भानू प्रकाश गर्ग, सचिन गर्ग व विपिन गर्ग नि0गण म0न0 3 बी 53 नेहरू नगर थाना सिहानी गेट गाजियाबाद से साझेदारी हेतु मदद ली गई थी और मिलकर कार्य कराया गया। उखलारसी शमशान घाट में निर्माण का कार्य हम लोगो ने संयुक्त रूप से मिलकर कराया था। जिसका टेन्डर करीब 55 लाख रूपये में हुआ था। जिसमें शमशान घाट का सौन्दर्यकरण में दीवारों का निर्माण पुरानी छतों की मरम्मत तथा कॉरीडोर का निर्माण आदि का कार्य था। जिनका सुपरवाइजर आशीष ए0एस0 कम्पनी कनट्रेक्शन की तरफ से था। शमशान घाट उखलारसी में निर्माण कार्य में कोरीडोर में इस प्रकार के लिन्टर एवं डिजाइन की कोई आवश्यकता नहीं थी किन्तु हम सभी व्यक्तियों द्वारा इसका बजट बढ़ा बनाकर के धन का गबन करने के लिए इस तरह का कार्य कराया गया था और ठेके के एवज में मैंने जेई के कहने पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी व जेई को 16 लाख दिया था जो मैंने माह मार्च में ही पहली किस्त जारी होने से पहले नगर पालिका के ई0ओ0 के कार्यालय में दिये थे। जहां पर जे0ई व एक अन्य कर्मचारी भी मौजूद था इसके बंटवारे के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इस निर्माण कार्य स्थल का नियमित पर्यवेक्षण का दायित्व अवर अभियंता एवं सुपरवाइजर का था जिसकी ओवरऑल जिम्मेदारी अधिशासी अधिकारी की थी, निर्माण सामग्री भी गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं थी, मानक आदि आप संबंधित कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं लालच वश हम लोगो ने मिलकर गिरोह बनाकर आर्थिक भौतिक लाभ के लिए नगर पालिका मुरादनगर के अधिकारियों एवं इंजीनियर से मिलकर यह घटिया निर्माण कराया था। हम से गलती हो गई है।

अभियुक्त अजय त्यागी के उपरोक्त बयानों के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा विधिवत बढ़ाने एवं इसकी नियम अनुसार विवेचना क्षेत्राधिकारी स्तर से कराने के निर्देश दे दिए गए हैं।

वही बयानों के आधार पर इनामी आरोपी ठेकेदार के सहयोगी संजय गर्ग को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने पूछताछ पर उपरोक्त कथन की पुष्टि की है।

मौके पर घायलों को अस्पताल पहुंचाने, रेस्क्यू के कार्यों एवं कानून व्यवस्था संभालने मौके पर एसएसपी कलानिधि नैथानी व अन्य अधिकारी डटे रहे। वहीं थाना पुलिस एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में गठित टीमों द्वारा चारों नामजद अभियुक्तों को दुखद हादसे के 36 घंटों के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया तथा ठेकेदार के सहयोगी संजय गर्ग को भी ठेकेदार अजय त्यागी के बयानों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है इस प्रकार अब तक कुल 05 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें सुपरवाइजर, अवर अभियंता, अधिशासी अधिकारी, ठेकेदार व उसका सहयोगी शामिल है।

एसएसपी द्वारा सभी आरोपियों के विरुद्ध कठोरतम धाराओं में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण :-

1. अजय त्यागी पुत्र सत्यबीर त्यागी निवासी ग्राम मोरटा थाना मधुबन बापूधाम वर्तमान पता- से0 7 डी / 52 राज नगर थाना कविनगर गाजियाबाद
2. संजय गर्ग पुत्र भानु प्रकाश गर्ग निवासी 3 बी-53 नेहरु नगर थाना सिहानी गेट गाजियाबाद



थाना मसूरी पुलिस द्वारा महीपालपुर दिल्ली से एक अदद संदिग्ध रूप से भागी इनोवा कार बरामद

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी द्वारा अपराध को रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री ईरज राजा के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी सदर व CO/UT श्री सुनील कुमार शर्मा के पर्यवेक्षण में दि0 05.01.2021 को प्रभारी निरीक्षक राघवेन्द्र सिंह थाना मसूरी गा0बाद व उनकी टीम को उस समय सफलता मिली जब चैकिंग के दौरान गाडी इनोवा नं. UK 06 TA 3679 बरामद हुई –

बरामदगी का विवरण:-

एक इनोवा कार नं. UK 06 TA 3679 बरामद – दिनांक 05.01.2021 को CUG नम्बर पर प्रातः 04.30 AM पर कनिका छावडा द्वारा फोन करके सूचना दी कि इनोवा कार नं. UK 06 TA 3679 रंग सफेद गाडी महीपालपुर दिल्ली से संदिग्ध इनोवा कार घटना करके/ करने भागने और गाडी में GPS लगा होने और उसको ईस्टर्न पैरीफेरल पर होने की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मसूरी द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर कन्ट्रोल रुम के माध्यम से सूचना समस्त जनपद को चैकिंग हेतु सूचना दी, सूचना प्रेषित कराने के उपरान्त थाना मसूरी पुलिस की समस्त PRV व थाना मोबाइल द्वारा चैकिंग प्रारम्भ कर दी गयी तभी दादरी / पलवल की तरफ से संदिग्ध इनोवा आती दिखी, पुलिस की चैकिंग देखकर संदिग्ध 03 व्यक्ति द्वारा INNOVA को UTURN

लेकर तेजी से मोडा गया पीछा करने पर गाडी को छोडकर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गये । काफी तलाश करने पर नही मिले । इनोवा कार को थाने लाकर दाखिल किया गया सम्बन्धित थाने से सम्पर्क कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी । शिकायतकर्ता को समस्त सूचना दी गयी । उसके द्वारा गाजियाबाद पुलिस की त्वरित कार्यवाही कर इनोवा बरामद करने पर खुशी जाहिर की गयी ।